



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-32

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 262583 दिनांक 16/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sakshi Pareek W/o Prateek Pareek	श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री मनजी वैगड	130	183.33 SQ. YARD	Cooperative	SHYAM NAGAR VISTAR Sector/Block-E	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	तथा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जोन के पत्र क्रमांक डी-1125 दिनांक 10.07.2024 के द्वारा श्री चौताली राठौड , दिपाली सेठी, आरती वेगड व विशाल वेगड पुत्रीया/पुत्र स्व. श्री प्रविण कुमार के पक्ष में जारी किया गया था। तथा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जोन के पत्र क्रमांक डी-45 दिनांक 05.03.2025 के द्वारा रूबी एस्टाब्लिसर्स एण्ड लाइफस्पेसेज प्राईवेट लि. जरिये श्री राजीव सिंघवी पुत्र स्व. एस सी सिंघवी के पक्ष में जारी किया गया था। तत्पश्चात् रूबी एस्टाब्लिसर्स एण्ड लाइफस्पेसेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्राईवेट लि. जरिये
श्री रौनक सिंघवी
पुत्र श्री राजीव
सिंघवी ने
योजना-श्याम
नगर विस्तार के
भूखण्ड
संख्या-ई-130,
क्षेत्रफल 183.33
वर्गगज को
पंजीकृत विक्रय
पत्र दिनांक
16.09.2025 के
द्वारा श्रीमती
साक्षी पारीक पत्नी
श्री प्रतीक पारीक
के पक्ष में बैचान
किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Sakshi Pareek W/o Prateek Pareek को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |